



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 12.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Karti P. Chidambaram** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **356** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	V. BALAGANA PATHI	SH. VELLIRASU MOB- 6374100679	2	KARAIKUDI
2	K. LEE KUAN YEW	SH. KARTHIKAI RAJAN MOB- 9626655432	1	KARAIKUDI
3	D. VETRI VINAYAGAM	SH. DAMODARAN MOB- 9003366100	1	KARAIKUDI
4	G. TAMIL AMUTHAM	SH. GUNALA RAJA MOB- 9842981426, 8838051930	1	KARAIKUDI
5	V. DHARSHICK	SH. VINO THARAN MOB- 9524041614, 8973149424	1	KARAIKUDI
6	S. JEGADHEESWARAN	SH. SENTHIL KUMAR MOB- 9361411777, 7358411399	5	KARAIKUDI
7	A. SACCHITA GNANAM	SH. ALAGU MANIKANDAN MOB- 9488613977	6	KARAIKUDI
8	T. SAI RITHEESH	SH. TAMIL SELVAN MOB- 8778414062	4	SIVAGANGAI
9	S. ASHMITHA	SH. SEKAR MOB- 9943697110	1	SIVAGANGAI
10	R. DHANVANTH DHURUVAN	SH. K. RAJA MOB- 9894439043, 9498135672	1	SIVAGANGAI

कृ. पृ. 3.

श्री. कार्तिकेय

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।


(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Karti P. Chidambaram माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **CHENNAI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)